उत्तर प्रदेश शासन

भाषा (उर्दू) अनुभाग-1

संख्या-3/83/21-उर्दू-1-2014 (15/95)

लखनऊ दिनांकः 04 मार्च, 2014

विज्ञप्ति

मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 8634/2013 फ़ारूख़ अहमद बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित निर्णय दिनांक 02 दिसम्बर, 2013 के क्रम में दिनांक 04 मार्च, 2014 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त संदर्भित याचिका में संस्थित अवमानना वाद में पारित निर्णय के अनुपालन में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की कार्यकारिणी समिति में श्री राज्यपाल महोदय निम्नानुसार कार्यकारिणी समिति के गठन हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1)	डा0 नवाज़ देवबन्दी	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा अथवा उनके प्रतिनिधि।	पदेन सदस्य
(3)	प्रमुख सचिव/सचिव वित्त अथवा उनके प्रतिनिधि।	पदेन सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव/सचिव शिक्षा अथवा उनके प्रतिनिधि।	पदेन सदस्य
(5)	कार्यकारी पूर्णकालीन अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनऊ।	पदेन सदस्य
(6)	निदेशक, उर्दू शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।	पदेन सदस्य
(7)	सचिव, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, लखनऊ।	पदेन सदस्य
(8)	विभागाध्यक्ष, उर्दू विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी।	पदेन सदस्य
(9)	विभागाध्यक्ष, उर्दू विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़।	पदेन सदस्य
(10)	विभागाध्यक्ष, उर्दू विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।	पदेन सदस्य
(11)	विभागाध्यक्ष, उर्दू विभाग, दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर।	पदेन सदस्य
(12)	विभागाध्यक्ष, उर्दू विभाग, चैधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ।	पदेन सदस्य
(13)	जनाब सैय्यद मोहम्मद हाशिम, मुरादाबाद।	ग़ैर सरकारी सदस्य

http://shasanadesh.up.nic.in

(14) जनाब अज़हर इनायती, रामपुर। ग़ैर सरकारी सदस्य
(15) जनाब डा0 शान मोहम्मद, बुलन्दशहर। ग़ैर सरकारी सदस्य
(16) जनाब मसूह हसन, लखनऊ। ग़ैर सरकारी सदस्य
(17) जनाब एहतेशाम हुसैन हाशमी, एडवोकेट, मैनपुरी। ग़ैर सरकारी सदस्य
(18) जनाब वासिफ़ ख़ान, लखनऊ। ग़ैर सरकारी सदस्य
(19) जनाब ख़ुदादाद ख़ान, लखनऊ। ग़ैर सरकारी सदस्य
(20) जनाब सलामत मियाँ, ग़ाज़ियाबाद। ग़ैर सरकारी सदस्य
(21) जनाब तमकीन फ़य्याज़, रामपुर। ग़ैर सरकारी सदस्य
(22) जनाब क़ासिम अन्सारी, टाण्डा, अम्बेडकरनगर। ग़ैर सरकारी सदस्य
(23) जनाब फ़साहत मीर साहब, फिरोज़ाबाद। ग़ैर सरकारी सदस्य
(24) जनाब चरन सिंह बशर, लखनऊ। ग़ैर सरकारी सदस्य

2- प्रेसीडेण्ट, उर्दू अकादमी तथा अध्यक्ष (चेयरमेन) कार्यकारिणी समिति, उर्दू अकादमी के साथ-साथ समस्त ग़ैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

3- राज्य सरकार उक्त नामांकन कभी भी बिना कारण बताये निरस्त कर सकती है।

डा0 ललित वर्मा
प्रमुख सचिव

संख्या- 83 (1)/21-उर्दू-1-2014(15/95) तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मा0 मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव को प्रकरण में प्राप्त निर्देश दिनांक 27 फरवरी, 2014 के क्रम में।

2- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ पीठ को दिनांक 04 मार्च, 2014 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त संदर्भित याचिका में संस्थित अवमानना वाद में पारित निर्णय के अनुपालन में।

http://shasnadesh.up.nic.in

3- श्री मुनव्वर राना प्रेसीडेण्ट, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

4- डा0 नवाज़ देवबन्दी, अध्यक्ष (चेयरमैन), उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी कार्यकारिणी समिति, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

5- समस्त पदेन सदस्यगण और समस्त ग़ैर सरकारी सदस्यगण।

6- प्रमुख सचिव, भाषा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

7- सचिव, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

9- निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, सूचना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया इस विज्ञप्ति को समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बृजेश चन्द्र)
अनु सचिव

http://shasnadesh.up.nic.in